समाहरणालय, अरवल।

(जिला अल्पसंख्यक कल्याण)

आदेश

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल से प्राप्त प्राक्कलन पत्रांक 871 दिनांक 24.12.2016 के आधार पर कब्रिस्तान घेराबंदी कार्यक्रम के तहत् जिला स्तर पर चयन समिति से चयनित योजना के आलोक में स्थल के उपलब्धता के अनुसार नीचे अंकित योजनाओं पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्य एजेंसी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल को नियुक्त किया जाता है।

क्र0	अनुमोदित योजना का क्र0 एवं तिथि	कार्यकारी एजेंसी का नाम	योजना का नाम	प्रखंड	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (लाख मे)	पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	28/20.12.16	कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल	प्रखंड करपी अंतर्गत मौजा करवां हंकार थाना सं0–62, खाता सं0–60, प्लौट सं0–145 कब्रिस्तान घेराबंदी कार्य।	करपी	21.00	45 दिन
			योग		21.00	

इक्कीस लाख रूपये मात्र।

<u>योजना कार्यान्वयन की शर्तेः–</u>

योजना के प्रारंभ करने से पहले संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित हो लेंगे कि किसी अन्य विभाग से योजना स्वीकृत अथवा कियान्वयन तो नही है।

1. **योजना में प्रथम किस्त की राशि विमुक्त करने से पूर्व संबंधित अंचल अधिकारी से विवाद रहित भूमि होने का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय।**
2. *योजना का निर्माण निविदा/ई–टेंडरिंग के माध्यम से करायेंगे ।*
3. योजना का कार्यान्वयन निर्धारित समय सीमा के अंदर प्राक्कलन में निहित विशिष्टयों के अनुरूप कराया जाय।
4. योजना से संबंधित प्रभारी कनीय अभियंता योजना में किये गये कार्य की मापी प्रत्येक तीन दिन पर लेंगें योजना की गुणवता के लिये कार्यपालक अभियंता, संबंधित सहायक अभियंता एवं संबंधित कनीय अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगें।
5. कार्य स्थल पर बोर्ड लगवाना तथा योजना निरीक्षण पंजी का संधारण करना आनिवार्य है,जिस पर निरीक्षण के दौरान प्रविष्टि की जाएगी।
6. **उपावंटित राशि का व्यय किसी अन्य योजना में नही किया जाय। योजना के लिए अभियंता के द्वारा अभिलेख अलग खोला जाएगा। संबंधित कनिय अभियंता द्वारा मास्टर रौल एवं वाउचर को सत्यापित किया जाएगा।**
7. अगर विगत पॉच वर्षो में किसी भी योजना के तहत इस योजना में कार्य कराया गया है तो उस योजना का कार्यान्वयन नही किया जाय। यह जवाबदेही पूर्ण रूपेण कार्यकारी एजेंसी को होगी।
8. कार्य स्थल पर कब्रिस्तान घेराबंदी कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत निर्माण प्राक्कलित राशि कार्यकारी एजेंसी का नाम आदि का बोर्ड लगाना आनिवार्य है।
9. योजना शुरू होने के प्रारंभ/मध्य/अंत में फोटोग्राफी अवश्य कराया जाय एवं उसकी एक प्रति अद्योहस्ताक्षरी को भेजी जाय, ताकि भारत सरकार के बेबसाईट पर उसे अपलोड किया जा सके।
10. प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नही किया जायेगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर योजना को पूर्ण नही किया जाता है तो इसके लिए संबंधित कार्यकारी एजेंसी पूर्ण रूप

से जिम्मेवार होंगे, पुनरीक्षण के फलस्वरूप बढ़ी हुई राशि की वसूली संबंधित कार्यकारी एजेंसी से की जायेगी।

11. **योजना का निमार्ण कार्य निर्धारित अवधि के अंदर पूर्ण नही करने पर सारी जवाबदेही कार्यकारी एजेन्सी के ऊपर होगी।**
12. योजना का प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2 री तारीख तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाय।
13. निविदा निस्तार कि तिथि, कार्य आवंटित कि तिथि तथा एकरारनामा की राशि संबंधी सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे एवं योजना का निर्माण सरकारी जमीन पर की जाय।
14. **कब्रिस्तान का निर्माण वैसे स्थल पर किया जाए जो निजी नहीं हो बल्कि खतीयान से सर्वसाधारण बिहार या कब्रिस्तान आदि के रूप में दर्ज हो।**
15. **अनुलग्नक –प्राक्कलन।**

ह0/–

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक 01 /जि0अ0क0, अरवल, दिनांक 2 / 01 /2017

प्रतिलिपि: विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: प्रधान सचिव, गृह विशेष विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: अंचल अधिकारी, करपी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: प्रखंड विकास पदाधिकारी, करपी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, अरवल को डाटा अपलोड करने हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि कम्प्यूटर ऑपरेटर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय, अरवल को डाटा अपलोड करने हेतु अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि: एक प्रति सूचना पट्ट पर।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

E:\mani\YEAR 2017\order 01.docx